न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 232 **/2026** अनवान हीराराम व अन्य बनाम ओमप्रकाश वगैरा

दिनांक 13**.04.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 389/2024 बअनवान ओमप्रकाश वगैराह बनाम तनसिंह वगैराह में पारित आदेश दिनांक 24.06.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 5–प्रार्थी–ओमप्रकाश वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर स्थित ग्राम आदर्श उण्डखा के ख.नं. 731/299, 732/307, 726/299, 727/307, 729/299 व 730/307 की उल्लेखित रकबा भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–तनसिंह व अन्य ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री भीमराज मुडिया एवं रेस्पो0सं0 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खेत की सीमाएं आपस में मिलती है तथा दोनों सीमाओं के मध्य कोई माठ नही है, जिससे अप्रार्थीगण प्रायः प्रार्थी के खेत का सेढा तोड़ प्रार्थी के खेत में आ जाते है तथा दोनों के मध्य तनाजा बना रहता है। इसे हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु प्रार्थी अपने खसरान की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। अपीलांट्स ग्राम आदेर्श उण्डखा के ख0नं0 795/297, 797/311, 301 व 302 के पडौसी खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.5.24 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये, तत्पश्चात दिनांक 24.6.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट्स को प्राप्त नही हुए और न ही किसी अन्य स्रोत से प्रार्थना पत्र की जानकारी हुई। इससे उसे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का मौका नही मिला। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार बाडमेर एवं रेस्पो0 सं0 6 से 14 को पक्षकार नही बनाया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

या, जो कि महत्वपर्ण पक्षकार है। आलौच्य प्रकरण में मौका रिपोर्ट तक तलब नही की गई। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 23–तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रकट उक्त तथ्यों की पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। इसके अलावा अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.6.24 के नोटिस दिनांक 18.6.24 को रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी किए गये है, जिन्हें दिनांक 24.6.24 को तामिल की श्रेणी में प्राप्त होना मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि अपीलांट्स का अभिकथन है कि उक्त नोटिस उसे प्राप्त नही होने से उसे जवाब एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। चूंकि अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 व अन्य हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 389/2024 बअनवान ओमप्रकाश वगैराह बनाम तनसिंह वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 13/4/26. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर